

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/151
संदर्भ सचिका सं. CICOM/A/2019/00133
CICOM/R/2019/00481

दिनांक: 23.07.2019

अपीलकर्ता : श्री रामगोविन्द सिंह,
निवासी 56, गांधी नगर,
जनपद - उन्नाव - 209801.

निर्णय की तारीख: 23.07.2019

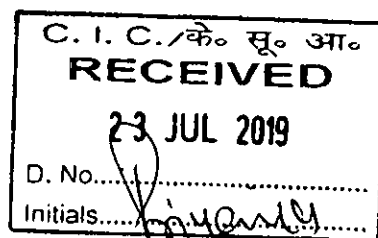
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.06.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	27.06.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. असीजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.07.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	229/22.07.2019 (14961/19.07.2019)

1 अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 12.06.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 11.04.2019 के पत्र पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2 संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 11.04.2019 के पत्र के संबंध में सूचना मांगी थी, जबकि श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के साथ अपीलकर्ता के पत्रों पर की गई कार्यवाही से संबंधित संलग्न दोनों पत्र 11.04.2019 से पहले के हैं, अपीलकर्ता के दिनांक 11.04.2019 के पत्र पर की कार्यवाही के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। तदुसार श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर अपीलकर्ता को उनके दिनांक 11.04.2019 के पत्र पर की गई कार्यवाही की स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना प्रदान की जाए, यदि उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो भी अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप में सूचित किया जाए।

3 तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4 प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से सतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि:

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

23/7/19
23/7/19

012